

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

DOCUMENT VERIFICATION SCHEDULE

Sub: Document Verification schedule for the post of Junior Executive/Electrical from the waiting list. Ref.: Advt. No. 04/2021

The candidates whose Roll Numbers are mentioned below may please note the Document verification Schedule for the post of Junior Executive/Electrical and shall be present at the DFCCIL 3rd Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001 by 09:30 AM positively:

SN	Roll Number	Name	Date of DV
1	322203100080	MOHD NASEEM	17-Oct-22
2	372663100654	BISHNU CHARAN MAHTO	17-Oct-22
3	261603100566	ROHT MALAV	17-Oct-22
4	271613100249	SK TAJUDDIN	17-Oct-22
5	332493100075	AVINASH KUMAR	17-Oct-22
6	332363100055	CHANDRASHEKHAR KUMAR	17-Oct-22
7	322203100064	PUSHPENDRA KUMAR	17-Oct-22
8	312163100113	VINAY KUMAR	17-Oct-22
9	261553100019	SUNIL KUMAR MEENA	17-Oct-22
10	372663100584	VIKKY MUNDA	17-Oct-22

- 2. Further, an e-mail and SMS is also being sent shortly to shortlisted candidates (as per para 1) on their registered e-mail id and mobile number to download e-admit card wherein complete details of date & time of Document verification, Medical examination and detailed instructions are indicated.
- 3. In case candidate does not report for document verification/Medical Test (as applicable) on the stipulated date and time as mentioned in the e-admit card, his/her candidature will be treated as cancelled. DFCCIL will not entertain any request for change of date and time schedule of document verification/Medical Examination.
- 4. The candidates must bring the documents in original along with one set of duly self-attested copies as per details given in Annexure-I, failing which he/she will not be allowed to appear for the Document Verification/Medical examination.
- Candidates may note that after completion of Document verification, they will be sent for medical examination on the next day. Accordingly, candidates have to come prepared for Document verification and Medical examination.
- 6. In case, the document verification/medical examination cannot be completed on the specified date and time, it will be rescheduled on the next available date at the same time and venue. You are requested to come prepared accordingly. No hotel charges and other incidental expenses incurred, if any, will be reimbursed.

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट, मेट्रो स्टेशन विल्डिंग कॉम्पेलक्स, नई दिल्ली 110001 -Regd. & Corporate Office: 5ʰ Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001 Tel23454700-11-91+ :, Fax 23454701-011 :Web :www.dfccil.gov.in CIN :U 60232 DL2006 GOI155068

My

- 7. It must not be construed that this as an offer of appointment to the post. Issuance of this notice does not confer any right on the candidate to final appointment. The candidature of the candidates is purely provisional, subject to subsequent verification of original documents, fulfilling the eligibility conditions as advertised and subsequent medical fitness as per the prescribed medical standard. Clearing of Document Verification and medical examination will give no right to be considered for appointment.
- 8. DFCCIL reserves the right of postponing or deferring the date(s) of document verification & medical examination and canceling selection if management decides as such, for which intimation will be sent to the candidate on time along with a notice on DFCCIL website. No claims will be entertained against cancellation charges of ticket or otherwise.
- 9. While every care has been taken in preparing the above results, DFCCIL reserves the right to rectify any inadvertent errors/typographical mistakes. DFCCIL regrets its inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates.
- 10. Important: Beware of the touts who offer candidates fake promises of jobs through illegal means. Do remember that seeking illegal methods for recruitment is also a serious crime and anyone found involved in it, shall also be charged as per Law. The process of recruitment in DFCCIL is absolutely fair and based on merit only.
- 11. Candidates are advised to regularly visit DFCCIL official website for the updates.

DA/- Annexure-I

Date: 26.09.2022

AGM/HR/DFCCIL

	दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट	3	
	Check-list of documents to be produced for Document Verification		
	विवरण / Particulars	कृपया (√) मार्क करें
			(√) mark
		मूल	स्वप्रमाणित
		Original	फोटो कॉपी
			Self-
			attested
1.	जन्म तिथि (डीओबी) प्रमाण पत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जिसमें उम्मीदवार की जन्म तिथि दर्ज की गई		Xerox
	हैं; (इसे प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी)		
	Date of Birth (DoB) certificate/Matriculation certificate when it is		
	Date of Birth (DoB) certificate/Matriculation certificate wherein the date of birth of candidate is recorded; (failure to present the same shall render the candidature of the candidate as cancelled)		
2.	आयु में छूट का दावा करने के मामले में, आयु में छूट के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र (जो भी लागू हो)		
	(एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/भूतपूर्व सैनिक/पात्र श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी)		
	व्यक्ति) निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया हो।		
	In case of claiming age relaxation, requisite certificate for age relaxation (whichever is		
	applicable) (SC/ST/OBC (Non-Creamy layer)/Ex-serviceman/Persons with Benchmark		
	Disabilities (PwBD) in eligible category) obtained in the prescribed format from the	1 - 4- 1	
3.	Competent Authority.		
	मक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के		
	लिए नवीनतम जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा, अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवारों को भारत सरकार के		
	तहत सेवा के लिए लागू "नॉन क्रीमी लेयर" स्थिति प्रमाणित करने वाला वर्ष 2021-2022 और 2022-		
	23 के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है और ऐसा न करने पर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग		
	श्रेणी के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र:		
	(क) 01.04.2021 से 31.03.2022 (2021-2022 के लिए) और		
	(ख) 01.04.2022 से दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख के बीच जारी किया गया हो (2022-23 के लिए)		
	इस प्रयोजन के लिए, कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें।		
	Latest Caste Certificate for SC/ST/OBC candidates issued by competent authority. Further,		
	OBC candidates are required to submit caste certificate certifying "Non creamy layer"		
	status applicable for service under Government of India and valid for the year 2021-		
	2022 and 2022-23 failing which they will not be given benefits under OBC category. The certificate on Non Creamy Layer Status must have been issued in between:		
	a. From 01.04.2021 to 31.03.2022 (for 2021-2022) and		
	b. From 01.04.2022 upto the date of document verification (for 2022-2023).		
4.	For this purpose, please refer detailed Advertisement.		
4.	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2020-		
	2021 और 2021-22 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो भारत सरकार के		
	तहत सेवाओं के लिए लागू "ईडब्ल्यूएस" स्थिति को प्रमाणित करता हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी		
	किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए, कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें		
	The candidates applied against the vacancies reserved for EWS must produce valid		
	Income and Asset Certificate for financial year 2020-2021 and 2021-22 certifying the "EWS" status applicable for services under Government of India and issued by the		
	Competent Authority. For this purpose, please refer detailed Advertisement		
5			
5.	मैट्रिक / हाई स्कूल और मीनियर सेकेंडरी / 12 वीं कक्षा का सर्टिफिकेट और मार्क शीट दोनों।		
	Both Certificate & Mark Sheet of Matriculation/High School & Sr. Secondary/12 th class.		

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट, मेट्टो स्टेशन विल्डिंग कॉम्पेलक्स, नई दिल्ली 110001 -Regd. & Corporate Office: 5ण Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001 Tel23454700-11-91+ :, Fax 23454701-011 :Web :www.dfccil.gov.in CIN :U 60232 DL2006 GOI155068

क अनुसार)) Final Certificate issued by the respective University/Institute/Board of ITI/Diploma/Degree (As per prescribed qualification). संबिति विश्वविद्यालय / संब्यान / बीर्ड द्वारा जारी आईटीआई / डिप्लीमा / डिग्री पाठ्यक्रम के मभी मेंसेस्टर, भमी वर्षों की मार्क शैट (Agitted योग्यात के अनुसार)। Mark Sheets of all semesters/years of ITI/Diploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/InstituteBoard. यदि किसी विश्वविद्यालय में अर्को के स्थान पर ग्रेड (शीजीपीए/अजीपीए/मीपीआई/डीजीपीए या लेटर ग्रेड) अदान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान में प्रतिशत कपांतरण फॉर्मुला मूल रूप में प्रदान करना होगा। If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. डिग्री/भमाण पत्र में विशेषाज्ञता का स्पष्ट उल्लेख किया पाया होना चाहिए। यदि इमका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कॉलअ/किविद्यालय/मंख्यान/बॉर्ड में एक प्रमाण पत्र वात्राहिए। ते विश्वविद्यालय/मंख्यान/बॉर्ड में एक प्रमाण पत्र वात्राहिए। इस्तियाल/महन्द्र इसार विश्ववित्र हमाजाविद्याल केथ मुकर कर्षा हो और विकास मार्क स्थ में उस विशेषाज्ञता का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हामिन किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे सामले में अर्ड में प्रतिक्रमन विग्री कारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र वारी ने किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री कार विवरण प्रमाणित करने के संबंध में क्लिज / विश्वविद्यालय / मंग्यान / बोर्ड में प्रमाण में तिव्य कार करने के संबंध में कार करने के विश्वविद्यालय प्रमाण के प्रमाण करने के तिव्य क्लिप करने के वारी करने के वाराण करने के प्रवाद करने के प्रमाण करने के पर प्रमाण में के प्रमाण में के नाय करने के प्रमाण के साय करने के प्रमाण के साय करने के प			
Final Cartificate issued by the respective University Institute Board of ITT Diploma Degree (As per prescribed qualification). 7. मंबश्चित विश्वविद्यालय / संस्थान / बीर्ड द्वारा जारी आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री पाइजक्रम के सभी सेसेस्ट / भगी वर्षो की मार्क शीट (निर्धारित योग्यता के अनुसार)। Mark Sheets of all semesters/years of ITTD/ploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/Institute/Board. 3. यदि किसी विश्वविद्यालय में अंकों के स्थान पर छेड (सीगीपीए)अंकीगीएसमीजबईटीकीपीए या लेटर छेड) प्रयान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान से प्रतिश्वत रूपांतरण कॉर्मूला मूल रूप में प्रदान करना हुँगा। If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPL/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. 3. डिग्रीप्रमाण पत्र से दिशेणअता का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कॉलेअविश्वविद्यालय/संस्थान/बीर्ड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो किम पर प्रिमिग्य/जिल्हार ब्राग्व विश्वत हमाअरित और मुख्य लगी हो और विग्वम संस्थ रूपा किया है। 3. उत्पाद को किया प्रमाण पत्र विश्वत हमाअरित और मुख्य लगी हो और विग्वम संस्थ रूपा में उपाय विश्वत हमा विश्वत हमाअरित और प्रमाण पत्र त्या साम्र किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate, In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे सामले में अहां प्रसिद्ध किया प्रमाण पत्र जमा करने और प्रविक्वत हिपी का विश्वव हमाआर माणि करने के संबंध में कॉलिज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बीर्ड में प्रिमिक्त / पिक्वव्य हमा का विश्वव हमाआर में किया प्रमाण पत्र का माणि को स्था में किया प्रमाण पत्र अपाण के सिंप के अनुस्व होन का प्रमाण के स्था के स्था किया होन के स्था के स्या के स्था के स्य	6.	संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड द्वारा जारी अंतिम आईआईटी डिप्लोमा / डिग्री (निर्धारित योग्यता के अनुसार)।	
े. संस्तित दिश्वविद्यालय / मंस्थान / बीई द्वारा आरी आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के मणी सेमेस्टर / मणी वर्षो की मार्क शीट (निर्श्वारित योग्यता के अनुसार)। Mark Sheets of all semesters/years of ITI/Diploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/Institute/Board. उद्य किसी विश्वविद्यालय ने अंकों के स्थान पर के डिप्तीशी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकिपी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकीपी/पोश्जेकिपी/		Final Certificate issued by the respective University/Institute/Board of ITI/Diploma/Degree	
सेसेस्टर, / मानी वर्गों की मार्क शीट, (निर्धारिस योगयना के अनुगार)। Mark Sheets of all semesters/years of ITIDiploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/Institute/Board. से किमी विश्वविद्यालय में अंको के स्थान पर छेट (सीजीपीए)आजीपीए/मीपीआई/डीजीपीए या लेटर छेड़) प्रवान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान में प्रतिश्वत क्यांतरण फोर्स्था मूल रूप से प्रवान करना होगा। If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. डिग्री/प्रमाण पत्र में विशेणजता का स्पष्ट उल्लेख किया पया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कॉलेज/विश्वविद्यालय/संप्यालीई में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिमिप्त/जिम्द्राट द्वारा विधिवत हमाजिरिक और मुद्र लगी ही और जिसमें स्पष्ट रूप में उस विशेणजना का उल्लेख हो विसमें उम्मीदवार ने उन्त दिग्री/दिग्योग हमिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे माम्पर्स में अद्योग जिस्स माण्य जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री आमण पत्र जारा करने और मीजियनत डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के तो स्वावित और मुद्र लगा एक प्रमाण पत्र जमा करने और मीजियनत डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के तो विश्व विद्यालय और स्थान के प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree arivers in the real के साण को करने के पर का करने के पर परिवाक के साण के	7.	संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड द्वारा जारी आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के सभी	
Mark Sheets of all semesters/years of ITI/Diploma/Degree course (as per prescribed qualification) issued by the respective University/Institute/Board. बिक्षी विश्वविद्यालय में अंकों के स्थान पर ग्रेड (शीजीपीए/ओजीपीए/मीपीआई/डीजीपीए या लेटर ग्रेड) प्रशान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान से प्रतिश्वत रूपांतरण फॉर्म्यना मूल रूप से प्रशान करना होगा। If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPL/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. अग्निरवार को कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/वोर्ड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिमिण्य/जिस्ट्राट द्वारा विश्ववह हलावरित्र और सुर लगी हो और जिसमें स्थान कर में उस विशेषजना का उल्लेख को तिसमें उसमिदवार ने उन्हें विश्विद्यालय/मंस्थान/वोर्ड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिमिण्य/जिस्ट्राट द्वारा विश्ववह हलावरित्र और हिंगी/जिस्सोय हामिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जहां श्रीविजन डिग्री वारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री वारी प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रेविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित तरते के संखंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संख्यान / वोर्ड में जिपियल / रिजेस्ट्राट द्वारा विधिवत हस्ताझिर और मुद्ध नता एक प्रमाण पत्र जारा कमाण कमाण कमाण कमाण कमाण कमाण कमाण कमा			
qualification) issued by the respective University/Institute/Board. 3. यदि किसी विश्वविद्यालय ने अंकों के स्थान पर ग्रेड (सीजीपीए/अीजीपीए/मीपीआई/डीजीपीए या लेटर ग्रेड) प्रवान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान से प्रतिश्वत रूपांतरण फोर्मुला मूल रूप में प्रवान करना होगा। 1 क्रिया University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. 3. डिग्नी/प्रमाण पत्र में विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कोलंब/विश्वविद्यालय/मस्थान/बोर्ड ने एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिम पर जिम्मिण्ड/जिस्ट्रां द्वारा विधिवत इस्ताबिरित और मुद्रर लगी हो और जिसमें स्पष्ट रूप में उम विशेषज्ञता का उल्लेख हो विममें उम्मीदवार ने उन्त विग्री/दिग्नामा हानिल लिया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामक्ष में जड़ा पीतिजनल डिग्नी जारी किया गया हो और मूल डिग्नी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो जो स्थान पत्र किया किया हो किया गया हो जो स्थान पत्र किया हो किया गया हो जो स्थान किया हो किया गया हो जो स्थान पत्र किया हो किया गया हो जो स्थान किया हो किया गया हो जो स्थान पत्र किया हिण्य हारा विधिवत हस्ताक्षर के संबंध में केलेक ने विश्वविद्यालय मंस्थान में में के मिरिल / रिकेस्ट्रार हारा विधिवत हस्ताक्षर के और मुद्र लगा एक प्रमाण पत्र जाम करने होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिका के विपे करने के तिथि अवश्यक पत्र प्रकेष पर परिणाम की विगयक में नियमित अवश्यक पत्		Mark Sheets of all semesters/years of ITI/Diploma/Degree course (as per prescribed	
होगा। शिक्षा University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. शिक्षा प्राण्ण पत्र में विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, लो उम्मीदवार को कॉलंक/विश्वविद्यालय/मंस्थान/बींड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिमिपन/पिकस्त्रान्द्र द्वारा विधिवत हस्ताविद और मुहर लगी हो और जिसमें स्पष्ट रूप में उस विशेषज्ञता का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उन्त शिक्षीरिज्ञां हो जिस किया है या विधिवत हस्ताविद लिया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. ऐसे मामसे में जहां प्रीविज्ञनल शिक्षी जारी किया गया हो और मूल शिक्षी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल शिक्षी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल शिक्षी प्रमाण पत्र जारी ने करने और प्रीविज्ञनल शिक्षी जाराण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल शिक्षी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल शिक्षी प्रमाण पत्र जारी निव्यविद्यालय / संस्थान / बींड से प्रिमिपल / रिकस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्तावरित और सुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारी का प्रमाण पत्र जारी निव्यविद्यालय / संस्थान / बींड से प्रिमिपल / रिकस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्तावरित और सुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारा कमा कमा करने किया प्रमाण पत्र जारा कमा कमा करने किया प्रमाण पत्र जारा कमा कमा कमा कमा कमा कमा होगा। In case where provisional degree of the submitted of the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. शिक्षा योग्यना प्रमाण पत्र अर्थान मूल प्रमाण में किया के साथ मंनिक अंत पत्र विधाव मूल किया प्रमाण में किया कमा माम के स्थार होगी होगी स्थापण के स्यान कमा कमा कमा किया प्रमाण किया कमा माम कमा किया माम कमा कमा कमा		qualification) issued by the respective University/Institute/Board.	
होगा। If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. 3. डिग्री/प्रमाण पत्र में विशेषज्ञता का म्यष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कॉलंज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/बीं में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिन पर प्रिमिपल/पिन्टान द्वारा विधिवत हस्लाक्ष्मित और मुहर लगी हो और जिनमें स्पष्ट रूप में उस विशेषज्ञता का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उन्त डिग्री/दिण्योमा हामिल निया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के पंख्य में कॉलेज / विश्वविद्यालय / मंस्थान / बींई से प्रिमियल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होत्या प्रमाण में प्रमाण के तारीख में प्रमाण के तारीख मन्त्र के पत्र प्रमाण पत्र के तार है, तो अंतिय योग्यता परीक्ष के परणाम की घोषणा की तारीख प्रम्तृत के जानी चाहिए। इनमें से विक्ती भी मार्कशीट/प्रमाण के अपया का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितक विधि को वशति हुए) प्रस्तृत किया नामा चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of decla	8.	यदि किसी विश्वविद्यालय ने अंकों के स्थान पर ग्रेड (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई/डीजीपीए या लेटर	
If any University has awarded grades (COPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. शिक्षी/प्रमाण पत्र में त्रिशेपजना का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कांकिज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/वीर्ड में एक प्रमाण पत्र जाता होगा, जो जिस पर प्रिमिपल/रिजान्ट्राट द्वारा विश्ववत हस्ताअतिन और मुहर लगी हो और जिममें स्पष्ट रूप में उस विशेपजना का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिपलीमा हामिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामसे में जहां प्रोशिजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोबिजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने कंत्र में अप्रोबिजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कालेज / विश्वविद्यालाय / मंस्यान / बोर्ड में प्रिनिपल / रिजेन्द्रार द्वारा विश्ववत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. किया योगवा प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोबिजनल, में जारी करने की तारीख होगी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रो को जारी करने की तिथि आवश्यक योगयना प्राम करने के लिए विजापन में निर्धार महत्वपूर्ण तिथिक काव हो होगे प्रमाण पत्र अर्थात मूल पात्र के प्रमाण में किया के सामले में, दस्तावज्ञ मन्यापन के समय करिलेज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/वीर्ड में इस आशय का एक प्रमाण की तिथि प्रम्तुन की जानी चाहिए। The education qualification certificates		ग्रेड) प्रदान किया है, तो उम्मीदवार को संस्थान से प्रतिशत रूपांतरण फॉर्मूला मूल रूप में प्रदान करना	
If any University has awarded grades (COPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of marks, then the candidate should provide percentage conversion formula from the Institute in original. शिक्षी/प्रमाण पत्र में त्रिशेपजना का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कांकिज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/वीर्ड में एक प्रमाण पत्र जाता होगा, जो जिस पर प्रिमिपल/रिजान्ट्राट द्वारा विश्ववत हस्ताअतिन और मुहर लगी हो और जिममें स्पष्ट रूप में उस विशेपजना का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिपलीमा हामिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामसे में जहां प्रोशिजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोबिजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने कंत्र में अप्रोबिजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कालेज / विश्वविद्यालाय / मंस्यान / बोर्ड में प्रिनिपल / रिजेन्द्रार द्वारा विश्ववत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. किया योगवा प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोबिजनल, में जारी करने की तारीख होगी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रो को जारी करने की तिथि आवश्यक योगयना प्राम करने के लिए विजापन में निर्धार महत्वपूर्ण तिथिक काव हो होगे प्रमाण पत्र अर्थात मूल पात्र के प्रमाण में किया के सामले में, दस्तावज्ञ मन्यापन के समय करिलेज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/वीर्ड में इस आशय का एक प्रमाण की तिथि प्रम्तुन की जानी चाहिए। The education qualification certificates		होगा।	
in original. े. डिग्री/प्रमाण पत्र में विशेषज्ञता का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/वोर्ड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिंमिपला/विज्ञान द्वारा विश्वित हस्ताअरिज और मुहर लगी हो और जिसमें स्पष्ट रूप में उस विशेषज्ञता का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हामिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जड़ां प्रीविज्ञत्न डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारा किया ने जरते के संवंध में कंलिज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंमिपल / रिजेस्ट्रार द्वारा विश्वव हस्ताअरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारा करते और प्रीविज्ञत्व डिग्री का विवरण प्रमाणित करते के संवंध में कंलिज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंमिपल / रिजेस्ट्रार द्वारा विश्वव हस्ताअरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारा करते और प्रींमिपल / रिजेस्ट्रार द्वारा विश्वव हस्ताअरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारा करते और प्रींमिपल / रिजेस्ट्रार द्वारा विश्वव हस्ताअरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारा करते के ति एक प्रमाण पत्र जारा करते के विश्वव हिए पर्य प्रांमित करते के ति एक प्रमाण पत्र जारा कर परिणाम के वोराणा के ति ति प्रमुक के पत्र या साण में में किया योग्यता परीजा के परिणाम की घोपणा की ति ति प्रमुक के जारा करते के पत्र विश्वव के पत्र के पत्र प्रमुक के पत्र प्रमुक के पत्र या साण में के साम करने के लिए विश्ववालय संस्थान में किया के प्रमुक के पत्र प्रमुक के पत्र विश्वव के साम के के साम करने के लिए किया के साम के से के सिक्य के पत्र के साम के से साम के से		If any University has awarded grades (CGPA/OGPA/CPI/DGPA or letter grade) instead of	
हिन्नी/प्रमाण पत्र में त्रिशेपजता का स्पष्ट उल्लेख किया गया होना चाहिए। यदि इसका उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को कलिज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/वोर्ड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिंमिपल/जिस्ट्राट द्वारा विश्विवत हस्ताक्षरित और मुद्रर लगी हो और जिसमें स्पष्ट रूप में उस विशेपजना का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. ऐसे मानमें में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कलिज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विश्ववत हस्ताक्षरित और मुद्रर क्या एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा! In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारीकर के पत्र प्रयोग में किया प्रमान के साथ समेकिन अंक पत्र या सभी मेमस्टर/वर्यों के व्यक्तिय काय प्रयोग में प्रमान के बीराणा की वारीख के साथ समेकिन अंक पत्र या सभी मेमस्टर/वर्यों के व्यक्तिय कर प्रयोग में में कियी की अनुपलक्यत के मायल में दिख्य का स्वापणा की सांकित किये के वादीव हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification		The state of the s	
उम्मीदवार को कॉलंज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/बोर्ड में एक प्रमाण पत्र लाना होगा, जो जिस पर प्रिंमिपल/रजिस्ट्रार द्वारा विधिवन हस्नाक्षरित और मुहर लगी हो और जिसमें स्पष्ट रूप में उस विशेषज्ञना का उल्लेख हो जिसमें उमीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कलिज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड में प्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्लाक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कलिज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड में प्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्लाक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जाम करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक बोग्यता प्रमान करने की तिए विज्ञापन में निधिय प्रमून की जानी चाहिए। इनमें में किसी मी मार्कशीटप्रमाणपाय में रितिथ की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज मन्यापन के समय कॉलजियिखाल्य/मंस्थान/बोर्ड में इस आथय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सोक्किक विधि को दश्ती हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original on provisional should contain the date of issue of these certificates is after the crucia			
त्रिंसिपल/रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो और जिसमें स्यष्ट रूप में उम विशेपजना का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदिवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हामिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे सामले में जहां प्रीविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के मंबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड में प्रिंमियल / रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जाम करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल यो प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी के परिणाम की घोपणा की तिथि प्रमन्त अंक पत्र या मार्म में में स्टिग्रीय के व्यक्ति तार प्रयोग परिया के परिणाम की घोपणा की तिथि प्रमन्त जंक पत्र या मार्म में में स्टिग्रीय प्रमाणाय में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, रम्तावेज मन्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड में इस आश्रय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की मांकिति तिथि को वर्शात हुण, प्रमन्त किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of al	9.		
का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/erriticate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करते और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बीर्ड से प्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवन हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जामा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्या पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने के तिए विजापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोपणा की तारीख के माथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोपणा की तिथि प्रम्तून की जाती चाहिए। इनमें में किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्नावेज सन्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/वोर्ड से इस आथाय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सोक्तिक तिथि को व्यक्ति दृए) प्रमृत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In cas			
का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया है। The specialization should be clearly mentioned in the degree/erriticate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करते और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बीर्ड से प्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवन हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जामा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्या पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने के तिए विजापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोपणा की तारीख के माथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोपणा की तिथि प्रम्तून की जाती चाहिए। इनमें में किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्नावेज सन्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/वोर्ड से इस आथाय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सोक्तिक तिथि को व्यक्ति दृए) प्रमृत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In cas		प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो और जिसमें स्पष्ट रूप से उस विशेषज्ञता	
The specialization should be clearly mentioned in the degree/certificate. In case, it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संख्या में कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंसिमल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विजापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोपणा की तारीख के माथ ममिकन अंक पत्र या मभी मेमेस्टर/वर्षो के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक परिणाम की घोपणा की तिथि प्रमृत की जानी चाहिए। इनमें में किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज मन्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड में इस आश्य का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सोर्य किया की घोपणा की सोर्व के स्थान के घोपणा की सोर्व के स्थान के घोपणा की सोर्व के स्थान के परिणाम की घोपणा की सोर्व के स्थान के स्थान के परिणाम की घोपणा की सोर्व के साम के घोपणा की सोर्व के स्थान के स्थान के स्थान के परिणाम के स्थान के स्थान के परिणाम किया के स्थान के स्थान के स्थान के परिणाम के स्थान		का उल्लेख हो जिसमें उम्मीदवार ने उक्त डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया है।	
College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. 10. ऐसे मामले में जहां प्रोचिजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / क्यिविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंसिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्रमणाम की घोपणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या मानी मेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रयोग मिन घोपणा की तिथि प्रम्तृत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलक्थता के मामले में, दस्तावज सन्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आश्य का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सोर्कतिक तिथि को वर्शात हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) s			
clearly stating the specialization in which the candidate has acquired the said degree/diploma. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवन हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विजायन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोपणा की तारीख के माथ ममेकित अंक पत्र या सभी मेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र परिणाम की घोपणा की तिथि प्रस्तुन की जानी चाहिए। इतमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/मंस्थान/वोर्ड से इस आश्य का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सांकेतिक तिथि को वर्शात हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई			
10. ऐसे मामले में जहां प्रोविज्ञनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीरवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविज्ञनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंमिपल / रिजेस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताबरित और सुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविज्ञनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्रप्ता करने के लिए विज्ञापन में निर्धिरत महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोपणा की निर्धि प्रमृत की जानी चाहिए। इनमें में किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के माथल में, दस्तावज्ञ मत्यापन के समय कॉलंज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड में इस आश्रय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोपणा की सांकितक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तृत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तृत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भापा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registral	
ि. ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंसिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की नारीख के साथ समेकिन अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के ब्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रम्तुन की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आश्य का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितिक तिथि को वर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तृत			
हो तो उम्मीदवार को मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से ग्रिंमिपल / रिजस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्रप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रयोग परिणाम की घोषणा की तिथि प्रम्तृत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शात हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अल्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो किय	10.	ऐसे मामले में जहां प्रोविजनल डिग्री जारी किया गया हो और मूल डिग्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया	
करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंमिपल / रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्रप्ताम करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बार है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के माथ समेकित अंक पत्र या सभी नेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तृत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को वर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भापा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		हो तो उम्मीदवार को मुल डिग्री प्रमाण पत्र जारी न करने और प्रोविजनल डिग्री का विवरण प्रमाणित	
हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विजापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी मेमेम्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें में किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के ममय कॉलज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		करने के संबंध में कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्रिंसिपल / रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत	
In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree Certificate, candidate has to submit a certificate from the College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. 11. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के पिरणाम की घोषणा की तारीख के माथ समेकित अंक पत्र या सभी मेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रम्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शात हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भापा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के माथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		In case where provisional degree/marksheet is issued and not the Original Degree	
regard to non-issue of original degree certificate and certifying the particulars of the provisional degree. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्रप्त करने के लिए विजापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकिन अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भापा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
provisional degree. शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविजनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दशिते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		College/University/Institution/Board duly signed & stamped by the Principal/Registrar in	
शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात मूल या प्रोविज्ञनल, में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज़ सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification.	11.		
तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज़ सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
या सभी सेमेस्टर/वर्षों के व्यक्तिगत अंक पत्र प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तिथि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज़ सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
चाहिए। इनमें से किसी भी मार्कशीट/प्रमाणपत्र में तिथि की अनुपलब्धता के मामले में, दस्तावेज सत्यापन के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकितिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
के समय कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (परिणाम की घोषणा की सांकेतिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
सांकेतिक तिथि को दर्शाते हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
The education qualification certificate viz. original or provisional should contain the date of issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना			
issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		साकातक तिथि की देशीत हुए) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। The education qualification certificate viz original or provisional should contain the date of	
for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		issue. In case date of issue of these certificates is after the crucial date prescribed in the Advt	
declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		for acquiring the essential qualification, then the consolidated mark sheet with date of	
non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheets of all the	
College/University/Institution/Board to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		semester/Years with date of declaration of result on each should be submitted. In case of	
should be produced at the time of document verification. 12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो 3सकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		non-availability of date in any of these mark sheet/certificates, a certificate from the	
12. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना		should be produced at the time of document verification.	
उसकी एक प्रतिलेख जो कि किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा करना	12.		
Ø1.11 I			
		होगा ।	

	If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted.	
13.	उम्मीदवार जो सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में नियमित आधार	
	पर कार्यरत हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से मूल रूप से "अनापत्ति प्रमाण	
	पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें विफल होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है	
	। डीएफसीसीआईएल के विभागीय/नियमित कर्मचारियों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने की	
	आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे सतर्कता और डी एंड एआर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	
	Candidates who are employed on regular basis in Government/Semi-Government/Public	
	Sector Undertaking/Autonomous Bodies are required to produce a "No Objection	
	Certificate" from their present employer in original at the time of document verification failing which candidature of the candidate is liable to be cancelled. Departmental/Regular	
	employees of DFCCIL are not required to produce "No Objection Certificate", but shall	
	produce Vigilance and D&AR Clearance.	
14.	सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवामुक्ति पर्ची/एनओसी जिसमें डिफेन्स में सेवा के वर्षों	
	की संख्या दर्शाई गई हो। इस प्रयोजन के लिए, कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें। इसके अलावा, भूतपूर्व	
	सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने डिफेन्स सेवाओं में अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में आवश्यक योग्यता हासिल	
	कर ली है, उन्हें ट्रेड, पाठ्यक्रम की समकक्ष अवधि और उसी में प्राप्त अंकों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए	
	उचित प्रमाण पत्र लाना चाहिए।	
	Discharge slip/NOC for Ex-Servicemen from the Competent Authority indicating the	
	number of years of service in Defence. For this purpose, please refer detailed Advertisement. Also, the Ex-serviceman candidate who have acquired the essential qualification as part of	
	their training in Defence services should bring appropriate certificate clearly indicating the	
	trade, equivalent duration of the course and marks obtained in the same.	
15.	बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित	
	प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण पत्र। इस प्रयोजन के लिए, कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें।	
	Disability certificate in prescribed form issued by Competent Authority in respect of Persons	
	with Benchmark Disabilities (PwBD) Category. For this purpose, please see detailed Advertisement.	
16.	दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र का पूरा प्रिंट आउट।	
	The complete print out of e-admit card issued for document verification.	
17.	कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) और उसके बाद की परीक्षाओं यानी सीबीएटी/पीईटी, यदि कोई हो, के	
	लिए उम्मीदवार को जारी किए गए ई-प्रवेश पत्र का पूरा प्रिंट आउट ।	
	The complete print out of e-Admit Card issued to the candidate for the Computer Based Test	
18.	(CBT) and subsequent exams i.e. CBAT/PET, if any.	
19.	पांच रंगीन पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो / Five coloured Passport Size latest Photographs	
20.	आधार कार्ड / Aadhaar Card	
20.	स्थायी खाता संख्या (पैन)। यदि आवंटित नहीं किया गया है, तो आवेदन की पावती रसीद की फोटोकॉपी	
	संलग्न करें।	
	Permanent Account Number (PAN). If not allotted, attach photocopy of applied for acknowledgement receipt.	
21.	निर्दिष्ट अनुसार कोई अन्य प्रमाणपत्र / Any other certificate, as specified	